>

Title: Regarding loss due to closure of brick kiln units in the country.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2012 को दिए गए आदेश की भट्टों की ईंट, मिट्टी, खनन के संदर्भ में भ्रामक व्याख्या करके देशभर के ईंट भट्टों को वर्तमान सीजन में बंद करने के लिए विवश कर दिया गया है। दीपक कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स नामक रिट याचिका में दिए गए उक्त आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि खनन पट्टे आवंटित करने या उनका नवीनीकरण करने के पूर्व खननकर्ता को पर्यावरण विभाग से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रदेश सरकारों को निर्देश जारी किए गए जिसके अनुपालन में स्थानीय प्रशासन ने ईंट, मिट्टी, खनन के परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय के आदेश की भ्रामक व्याख्या करके कच्ची ईंटों की पथाई का कार्य रोक दिया जिसके परिणामस्वरूप देश के लगभग एक लाख चालीस हजार भट्टे बंद होने को मजबूर हो गए।

महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भित निर्णय में पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता का प्रावधान उन बड़े सरकारी पट्टों के लिए किया जाना है जिनके द्वारा बालू, मोरंग, गिट्टी आदि के खनन कार्य बड़े पैमाने पर किए जाते हैं जबकि ईंट भट्टे में ईंट मिट्टी निकालने की अनुमति उस जमीन के मालिक किसान को उसका हर्जाना देकर प्राप्त की जाती है अथवा भट्टा स्वामी निजी भूमि से ईंट निकालता है तथा नियमानुसार सरकार को उसकी रायल्टी देकर परमिट प्राप्त करता है। स्वाभाविक ही माननीय न्यायालय के आदेश ईंट मिट्टी के खनन पर प्रभावी नहीं होने चाहिए।

महोदय, इन भट्टों के बंद होने से इस कारोबार में लगे लगभग 4 लाख भट्टा व्यवसायी संकट में हैं। देश भर में कुटीर उद्योग की तरह चलने वाले इस उद्योग से सीधे रोजगार पाने वाले लगभग साढ़े तीन करोड़ मजदूरों की रोजी-रोटी संकट में है। साथ ही केन्द्र व प्रदेश सरकार को मिलने वाला राजस्व भी कम होने वाला है। केवल उत्तर प्रदेश में संचालित लगभग 16, 500 ईंट भट्टों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता है तथा सम्पूर्ण देश के 1 लाख 40 हजार ईंट भट्टों से 5 हजार करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति होती है। ईंटों का निर्माण बंद होने से देश के बुनियादी ढांचे सड़क, मकान, भवन आदि के निर्माण में भी बाधा पहुंचेगी तथा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बड़ी मात्रा में कम हो जायेंगे।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध है कि सरकार इस विषय में हस्तक्षेप करे तथा ईंट भट्टों को पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता से मुक्त करने तथा ईंट मिट्टी को माइनर मिनरल की श्रेणी से बाहर किए जाने के आदेश देकर ईंट भट्टों के संचालन का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, मैंने भी इस विषय में नोटिस दिया है इसलिए मैं इस पर एक मिनट बोलूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मित्र श्री अग्रवाल जी ने अभी यह ईंट भट्टे का मैटर उठाया है। यह बात सत्य है कि यह ईंट भट्टे के विषय मैंने नियम 377 के अन्तर्गत भी दिया था। आज उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के आंकड़े देखे जायें तो आपने ईंट भट्टों की संख्या 1 लाख 40 हजार बतायी। हमारा कहना है कि छोटे भी ईंट भट्टे होते हैं जो गांव में लोग लगाकर कार्य करते हैं, उस पर भी रोक लगा दी गयी है। लगभग 2 लाख के करीब ईंट भट्टे इस समय बंद होने के कगार पर हैं।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि यह सीधा, खासकर जो मजदूर हैं, उनसे जुड़ा हुआ सवाल है। आज करोड़ों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। वे भुखमरी के कगार पर हैं। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम विकास के कार्य अवरूद्ध पड़े हुए हैं। ईंट भट्टे के जो मालिक हैं, वे अपने ईंट भट्टों को रिजर्व किये हुए हैं और बहुत ही महंगे दामों पर बेच रहे हैं। आज असंतुलन की स्थिति एक तरीके से महंगाई की स्थिति बनती जा रही है।

मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इसमें दखल दे और तत्काल सर्वोच्च न्यायलय पर काउंटर फाइल करे और जो पर्यावरण, प्रदूषण से संबंधित एनओसी लेने की बात है, उसमें सरलीकरण करे, ताकि ईंट भट्टे उद्योग चालू हो सकें। प्रदेश और देश का विकास हो और हजारों करोड़ मजदूर जो भुखमरी के कगार पर हैं, उनको रोजगार मिल सके।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN :

Shri Ganesh Singh,

Shri Arjun Ram Meghwal and

Shri Kamal Kishor 'Commando' are associating with the matter raised by Shri Rajendra Agrawal.